International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 13 Issue 1, Jan.-Feb., 2025

हिन्दू विवाह : प्राचीन पद्धतियों में हिन्दू विवाह के स्वरूव व प्रकार की विवेचना

Ranjana Yadav

Scholar (Home Science) and Shikshak, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Dhanpatganj, Sultanpur, Uttar Pradesh (India)

सारांश

हिन्दू धर्म में विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में स्वीकार किया जाता है। हिन्दू धर्म में अविवाहित व्यक्ति को धार्मिक दृश्टि से अपूर्ण मानते हुए उन्हें विभिन्न संस्कारों में भाग लेने की इजाजत समाज द्वारा नहीं दी जाती है। इस भाोध पत्र में प्राचीन काल को दृश्टिगत रखते हुए हिन्दू विवाह के प्राचीन पद्धतियों के स्वरूप व प्रकार पर अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी : हिन्दू विवाह, प्राचीन पद्धति, संस्कार, मनुस्मृति

प्रस्तावना

हिन्दू धर्म में विवाह को एक पवित्र संस्कार (Sacrament) का दर्जा दिया गया है। विवाह का शाब्दिक अर्थ है– ''वधू को वर के घर ले आना''। बोगार्डस[1] के अनुसार, ''विवाह स्त्री और पुरुश के पारिवारिक जीवन में प्रवे ा करने की संस्था है।'' हिन्दू धर्म में वर्णित गर्भाधान से अंत्येश्टि तक व्यक्ति के कुल सोलह संस्कारों में से विवाह एक प्रमुख संस्कार है। इस संस्कार में व्यक्ति सामाजिक जीवन से वैवाहिक जीवन में कदम रखता है। लूसी मेयर[2] के अनुसार ''विवाह स्त्री और पुरुश का एक ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता–पिता की वैध सन्तान माना जाय।'' विवाह को मानव जीवन की एक जरूरत, प्रजनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करना, यौन सम्बन्धों को व्यक्त करने का एक स्वस्थ तरीका बताया गया है। इसका उद्दे य एक सभ्य समाज का निर्माण करना तथा बच्चे का जन्म व उसे अच्छे संस्कार देना है। भातपथ ब्राह्मण[3] (शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रन्थ) में पत्नी को पति का अर्धांगिनी माना गया है। स्त्री को यज्ञ का अधिकारिणी कहा गया है। अपत्निक व्यक्ति को यज्ञ के लिए अनुपयुक्त बताया गया है। अतः जब तक व्यक्ति विवाह नहीं करता और सन्तान उत्पत्ति नहीं करता तब तक वह पूर्ण नहीं माना जाता है, पत्नी ही उसे पूर्ण करती है। मनुस्मृति[4] में विवाह संस्कार को जीवन के दूसरे चतुर्थांस में अर्थात पच्चीस वर्श के बाद करने का निर्दे ा दिया है–

द्वितीयमायुशों भागं कृतदारो गृहे वसेत

एडवर्ड वेस्टर मार्क[5] ने विवाह को पुरुश और महिला के बीच कमोबेश टिकाऊ संबंध के रूप में परिभाशित किया है, जो प्रजनन के मात्र कार्य से आगे बढ़कर संतान के जन्म के बाद तक बना रहता है। इस भाोध पत्र में प्राचीन पद्धतियों में हिन्दी विवाह के स्वरूप व प्रकार की विवेचना की गई है।

विवाह का उद्गम

मनु को संसार का पहला पुरुश माना जाता है। मनु मनुस्मृति के रचयिता माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु और सतरूपा धरती के प्रथम पुरुश और स्त्री माने जाते हैं। इन्हीं के मैथुनी सृश्टि से ही संसार के सभी लोगों की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। पुराने जमाने में विवाह की कोई प्रथा नहीं थी। महाभारत के भाांति पर्व के अध्याय 35 भलोक 22 में सबसे पहले भवेतकेतु (उद्यालक ऋशि के पुत्र) के विवाह का उल्लेख मिलता है। महाभारत[6] में पाण्डु ने अपनी पत्नी कुंती को नियोग के लिए प्रेरित करते हुए कहा था कि पुराने जमाने में विवाह की कोई प्रथा नहीं थी, स्त्री–पुरुश को यौन संबंध करने की पूरी स्वतंत्रता थी। कहा जाता है

कि भवेतकेतु ने सर्वप्रथम विवाह की मर्यादा स्थापित की। इनका विवाह देवल ऋशि की पुत्री सुवर्चला से हुआ था। उस समय विवाह संस्कार का अस्तित्व नहीं था उस वक्त स्त्रियाँ स्वतंत्र और उन्मुक्त जीवन व्यतीत करती थी। मनुस्मृति हिन्दू धर्म का एक प्राचीन धर्म ाास्त्र है। मनु के अनुसार उस महिला से विवाह न किया जाय जो नीची जाति की हों[7] और बुद्धिमान पुरुश ऐसी लड़की से विवाह न करे जिसके भाई न हो या जिसके पिता को कोई जानता न हो या यह किसकी लड़की है यह किसी को मालूम न हो[8]। उनके अनुसार अनिच्छुक कन्या को दूशित करने वाले बलात्कारी को मृत्युदण्ड देना चाहिए और यदि कन्या की सहमति से सम्बन्ध स्थापित किया जाता है तो मृत्युदण्ड निशिद्ध है।[9]

हिन्दू विवाह की प्राचीन पद्धति

भाास्त्रों के अनुसार हिन्दू विवाह की प्राचीन पद्धतियों में कुल आठ प्रकार के विवाह– ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्श विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह का उल्लेख मिलता है। भविश्य पुराण, कौटिल्य के अर्थ ाास्त्र और मनुस्मृति[10] में भी इन्हीं आठ प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है।

ब्राह्म विवाह :

मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्म विवाह सर्वश्रेश्ठ प्रकार का विवाह था। इस विवाह में पिता सबसे अच्छा, अच्छे स्वभाव और उत्तम कुल के वर को स्वयं आमंत्रित कर कन्या का विवाह उसकी सहमति से विधिवत संस्कार करके वैदिक रीति रिवाज से करता था। ऋग्वेद में सोम नाम के देवता का विवाह सूर्या नामक लड़की के साथ वैदिक ऋशियों ने कराया था जो ब्राह्म विवाह का एक उदाहरण है।

दैव विवाह :

इसप्रकार के विवाह में पिता कन्या को अलंकृत करके यज्ञ में पुजारी को दे देता था। एक तरह से कन्या पुजारी को दक्षिणा के रूप में दे दी जाती थी।

आर्श विवाह :

वर से एक या दो जोड़े गाय लेकर कन्या को विधि विधान से सौंपने को आर्श विवाह कहा गया।

प्राजापत्य विवाह :

इस प्रकार के विवाह में कन्या का पिता पूजन के बाद वर–वधू को यह कहते हुए कन्यादान करता था कि, ''तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करना तथा तुम लोगों का जीवन सुखमय हो।'' राजा दक्ष ने अपनी बेटी सती का विवाह भगवान ि ाव से कराया था। यह प्राजापत्य विवाह का उदाहरण है।

आसुर विवाह :

इस प्रकार के विवाह में विवाह का इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छा से कन्या के पिता को धन देकर विवाह करता था। एक तरह से कन्या को खरीदकर अर्थात उसको भाुल्क देकर उससे विवाह करने की प्रथा थी। इस प्रकार के विवाह में कन्या की मर्जी के बिना उससे विवाह होता था।

गन्धर्व विवाह :

इस प्रकार के विवाह में आपसी सहमति के आधार पर विवाह सम्पन्न होता था। इसे हम 'प्रेम–विवाह' भी कह सकते हैं। इसमें परुश और महिला आपसे में प्रेम करके स्वेच्छा से विवाह करते थे। महाभारत में इस प्रकार के विवाह का उदाहरण है–राजा दुश्यन्त और भाकुन्तला का विवाह, अर्जुन और उर्व ाी का विवाह। गन्धर्व विवाह में सामाजिक या धार्मिक हस्तक्षेप नहीं होता था।

राक्षस विवाह :

जब युवती का बल पूर्वक अपहरण करके विवाह किया जाता है तो उसे राक्षस विवाह की संज्ञा देते थे। एक तरह से कन्या के सहमति के बिना यह जबरदस्ती विवाह किया जाता है। भीश्म का का ाी की तीन पुत्रियों का अपहरण करना भी राक्षस विवाह की श्रेणी में माना जाता है।

पैशाच विवाह: जब कोई पुरुश सोती हुई, **नशे** में या मानसिक रूप से विकलांग कन्या के साथ चुपके से संभोग करता है तो उसे पै ाच विवाह की संज्ञा देते थे। यह सबसे निम्न कोटि काविवाह माना जाता है।

उपसंहार

विवाह की प्राचीन पद्धतियों के उपरोक्त विवेचना से स्पश्ट होता है कि हिन्दू विवाह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वर्णित आठो प्रकार के विवाहों से प्रतीत होता है कि विवाह का उद्दे य संतान प्राप्ति, धार्मिक कार्य व यज्ञ अनुश्ठान एवं मन की इच्छा की पूर्ति रहा है। इन उद्दे यों की प्राप्ति के लिए यौन–सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भिन्न–भिन्न तरीकों को भिन्न–भिन्न विवाह श्रेणी में बाँटा गया जिसमें प्रारम्भ के चार विवाह ब्राह्म, दैव, प्राजापत्य विवाह और आर्श विवाह को धर्म सम्मत माना गया है तथा अंतिम तीन विवाह आसुर, राक्षस और **पैशाच** को निम्न कोटि का माना गया, क्योंकि इनमें **क्रमशः** कन्या को धन देकर खरीदना, बलपूर्वक अपहरण करना और चुपके से सोते हुए या न ो की हालत में कन्या से विवाह जैसी बात है।

संदर्भ ग्रन्थ

[1]. B.S. Bogardus : “Marriage is an institution admitting men and women to Family life”, Sociology, p.79
[2]. लूसी मेयर : सामाजिक नृ–विज्ञान की भूमिका, हिन्दी अनुवाद, पृ0 90
[3]. भातपथ ब्राह्मण : कांड 1, अध्याय 7
[4]. मनुस्मति : भलोक 4.1
[5]. एडवर्ड वेस्टर मार्क : दी हिस्ट्री आफ ह्यूमन मैरेज (1891)
[6]. महाभारत : स्कन्ध[1] आदि पर्व : खण्ड 122 (संभव पर्व)
[7]. अनुस्मृति : तीसरा अध्याय
[8]. मनुस्मृति : ग्यारहवां अध्याय
[9]. मनुस्मृति : भलोक 8–363
[10]. मनुस्मृति : भलोक 3.20